भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 1980

क्र. एफ. 121-4-73-एच-8-बीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश, शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा में भरती से संबंधित निम्न लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—ये नियम मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग, तकनीकी शाखा, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) भरती नियम, 1980 कहलायेंगे.

ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" के अधिसूचित किये जाने की तारीख से लागू होंगे.

2. परिभाषा.—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे उस सेवा या पद पर (अनुसूची पांच के खाना (9) में उल्लेखित किये अनुसार) शासन द्वारा नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाय;

(ख) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है;

(ग) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;

(घ) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है.

(ङ) "अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां" का वही अर्थ होगा, जो उनके लिये संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में दिया गया है और इसका तात्पर्य ऐसी जातियों और जन जातियों से है, और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाय;

(च) "सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग, तकनीकी शाखा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा से है;

(छ) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है,

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबन्धों की व्याख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों,

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, सेवा में भरती किये गये हों.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उसका वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इससे संलग्न अनुसूची एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होगा :

परन्तु शासन सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर अस्थायी या स्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

(क) परीक्षा/चयन करके सीधी भरती द्वारा.

(ख) अनुसूची चार के खाना 3 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा.

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो मूल हैसियत से ऐसी सेवा में ऐसे पद धारण कर रहे हों, जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जायें.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खंड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या (अनुसूची एक में यथाविनिर्दिष्ट) [illegible] की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) जहां पद/पदों को उपनियम 1 (ख) के अधीन तथा उपबंधित पदोन्नति द्वारा भरा जाना हो किंतु जहां विहित अर्हता तथा अनुभव अनुसार व्यक्ति उपलब्ध न हो वहां पद/पदों को उपनियम 1 (क) में दिये गये उपबन्धों के अनुसार सीधी भरती द्वारा भरा जा सकेगा.

(4) उपनियम 1 में दी गई किसी बात के होते हुये भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुये ऐसा करना आवश्यक हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सेवा में भरती संबंधी तरीकों को छोड़ जिनका उल्लेख उक्त उपनियम में किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा; जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये आदेश द्वारा विहित किये जायं.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में सभी नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई नियुक्ति नियम 6 में उल्लिखित भरती के किसी एक तरीके से चयन करके ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—चयन किये जाने के लिये पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(1) आयु.—(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने 18 वर्ष की अथवा अन्यथा उल्लिखित (अनुसूची तीन के खाना तीन के अनुसार) आयु पूरी कर ली हो तथा 30 वर्ष की आयु (अनुसूची तीन के खाना चार के अनुसार) पूरी न की हो.

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिकतम आयु सीमा में अधिक से अधिक पांच वर्ष की छूट दी जायेगी.

(ग) उन उम्मीदवारों को भी जो मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित सीमा तक तथा नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी.

(एक) ऐसे उम्मीदवार की आयु जो स्थायी या अस्थायी हो, 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

(दो) उप खंड (एक) में उल्लिखित रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों या कार्य प्रभारित कर्मचारियों अथवा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्तियों को भी दी जा सकेगी.

(तीन) ऐसे उम्मीदवार को, जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की अवधि, भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण:—शब्द "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा उसकी संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई में अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छ: माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों में कमी की जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो.

(चार) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण:— भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छ: माह की अवधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई (यूनिट) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त कर दिया गया हो.

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भरती किया गया हो, और.

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण होने पर,

(ख) भरती की शर्तें पूरी हो जाने पर, सेवा मुक्त कर दिया गया हो.

([illegible]) [illegible] इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी.

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं).

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अस्थायी रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक, निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो, कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो कि असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण, चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिये गये हों.

(पांच) ऐसे व्यक्ति जो 1-1-1963 के बाद से राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भरती किये गये हों उनकी आरंभिक/वर्धित अवधि की समाप्ति पर रा. छा. से. में नियुक्ति होने पर नियोजन के प्रयोजन के लिये "छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी" समझे जायेंगे और वे अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेंगे बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

टिप्पणी:---उपर्युक्त पैरा 8 (एक) (ग) (एक) तथा दो में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन में सम्मिलित किया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद चयन के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे दें, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाय, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

विभागीय उम्मीदवारों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिये.

(दो) शैक्षणिक अर्हता.---उनके पास अनुसूची तीन में दर्शाये अनुसार, सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हतायें और अनुभव होना चाहिये.

9. अनर्हता.---उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके चयन, परीक्षा, नियुक्ति के लिये अनर्हकारी माना जा सकेगा.

10. उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में शासन का निर्णय अंतिम होगा.---किसी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा.

11. चयन द्वारा सीधी भरती.---(1) (क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायगी. इसमें तीन सदस्य होंगे.

(ख) सेवा में भरती के लिये चयन/परीक्षा का आयोजन ऐसी अंतरावधियों पर किया जायेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निश्चित की जाएं.

(ग) सेवा में उम्मीदवारों का चयन, चयन समिति के द्वारा उनके साक्षात्कार के बाद किया जायेगा.

(2) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्तियों के 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान उन उम्मीदवारों के लिये रक्षित होंगे, जो क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों.

(3) इस प्रकार रक्षित रिक्तियों को भरते समय अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये उस क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आते हों चाहे अन्य उम्मीदवार की तुलना में उनकी सापेक्ष स्थिति कुछ भी क्यों न हो.

(4) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों को जिन्हें नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, उपनियम (3) के अधीन यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(5) यदि रक्षित रिक्तियों के लिये पात्र उपयुक्त उम्मीदवार भरती के किसी भी अवसर पर उपयुक्त श्रेणियों के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों जिन्हें इन्हीं उम्मीदवारों के लिये पुनर्विज्ञापित की जावेगी यदि पूर्व विज्ञापन के बाद भी कोई रिक्तियां बच रहे, तो उन्हें उच्च अधिकारियों की सहमति प्राप्त करने के बाद सामान्य उम्मीदवारों से भर लिया जायेगा और उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये उसके बाद होने वाली भरती के अवसर के लिये रक्षित रखी जायेंगी परन्तु इन जातियों के लिये कुल रक्षित स्थान किसी भी एक अवसर पर रिक्तियों की कुल संख्या के 45 प्रतिशत से अधिक न होंगे.

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची.---(एक) चयन द्वारा---(एक) चयन समिति उन उम्मीदवारों के नाम तथा अन्य ब्यौरे, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, सम्यक् रूप से अधिमान क्रम से क्रमबद्ध करके तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों के, जो यद्यपि उक्त मानकों के अनुसार अर्ह नहीं हैं किन्तु जिन्हें समिति ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, नाम तथा अन्य ब्यौरे नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा.

(दो) [illegible] द्वारा---नियुक्ति प्राधिकारी [illegible] उम्मीदवारों को, जो ऐसे मानकों से अर्ह हुए हैं जिन्हें वह निश्चित करे और अनुसूचित जा[illegible] तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये उम्मीदवार जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें उसने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने [illegible] ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो उनके बारे में अन्य ब्यौरे के साथ योग्यता-क्रम के अनु[illegible] सूची तैयार करेगा।

(तीन) [illegible] तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन, उपलब्ध रिक्तियों पर नियु[illegible] के लिये उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जायगा, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों।

(चार) सूची में किसी उम्मीदवार का नाम शामिल होने से उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि नियुक्ति प्रा[illegible] कारी का ऐसी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से [illegible] युक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति---(1) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारम्भिक चयन करने के लिये एक विभागीय चयन समि[illegible] गठित की जायगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों में होगी, जो सामान्यत: एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) ऐसे पदों पर जिसमें पदोन्नति के प्रतिशत 33 1/3 प्रतिशत या इससे अधिक विहित किया गया हो, पदोन्नति के लिये उपलब्ध रिक्तिय[illegible] में से 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत रिक्तियां उन उम्मीदवारों के लिये रक्षित रखी जायंगी जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्[illegible] हों और जो नियम 1[illegible] में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के पात्र हों।

(4) रक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी कि[illegible] गये आदेशों के अनुसार होगी।

(5) जहां किसी पद/किन्हीं पदों को उपनियम 1 (ख) के अधीन उपबंधित किये अनुसार भरा जाना हो किन्तु विहित अर्हताएं और अनुभव [illegible] प्राप्त कोई उपयुक्त [illegible] उपलब्ध न होवें, ऐसे तो पदों को उप नियम 1 (क) में दिये गये उपबन्धों के अनुसार सीधी भरती द्वारा भरा जा सकेगा।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता सम्बन्धी शर्तें.---(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर [illegible] विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूची 4 के खाना 2 में उल्लिखित पद सेवा (स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप में) जिसकी पदोन्नति की जाना हो तथा जो उपनियम 2 के अनुसार विचार के क्षेत्र अन्तर्गत आते हों अनुसूची चार के खाना 3 में यथोल्लिखित वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन चयन का क्षेत्र सामान्यत: यदि पदोन्नति वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जानी हो तो चयन सूची में सम्मिलित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या के 5 गुने तक और यदि पदोन्नति योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो तो चयन सूची में सम्मिलित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या के 7 गुने तक सीमित होगी, परन्तु यदि इस प्रकार निर्धारित क्षेत्र के लिये उपयुक्त व्यक्ति अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो यह क्षेत्र समिति के द्वारा लिखित रूप से कारण का उल्लेख किये जाने पर उसके द्वारा आवश्यक समझी गयी सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा।

(3) पदोन्नति के लिये अनुसूची चार व छ: में उल्लिखित पदों के लिये अनुसूची तीन के अनुसार सीधी भरती के लिये विहित अर्हता तथा अनुभव होना चाहिये।

15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना.---(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपयुक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझती हो। यह सूची चयन सूची की तैयारी की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये रक्षित सूची भी तैयार की जायगी, जिसमें उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के 25 प्रतिशत व्यक्ति के बराबर शामिल होंगे।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों के नाम, प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय सेवा में वरिष्ठता क्रम के अनुसार होंगे [अनुसूची चार के खाना (दो) में दिये अनुसार] परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.---ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसकी पदोन्नति सूची की वैधता के दौरान न की गई हो, उन व्यक्तियों पर जिनके संबंध में पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया हो केवल पहले चयन किये जाने सम्बन्धी तथ्य के कारण वरिष्ठता का दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायगा।

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान (मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी तकनीकी कार्यपालन और गैर तकनीकी सेवा, तकनीकी शाखा) सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाय तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी.

16. नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सिफारिशों सहित निम्नलिखित कागज पत्रों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेजी जायगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख.

(दो) सेवा के सभी सदस्यों (अनुसूची चार के खाना 2 में दिये अनुसार) के अभिलेख, जिनका सूची में की गयी सिफारिशों द्वारा अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो.

(तीन) सेवा के किसी भी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण (अनुसूची चार के खाना 2 में दिये अनुसार).

17. चयन सूची.—(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सम्बद्ध अभिलेखों के साथ उसके द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और जब तक कि कोई भी परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह तत्संबंधी कारण लेखबद्ध करते हुए सूची सिफारिश के लिये समिति को लौटा देगा.

(3) नियुक्ति प्राधिकारी के मत पर विचार करने के बाद समिति द्वारा अन्तिम रूप से तैयार की गई सूची/अनुसूची चार के खाना 2 में दर्शाये गये पदों से अनुसूची चार के खाना 3 के पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति हेतु चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाय किन्तु उसकी वैधता की अवधि, सूची तैयार की जाने की तारीख से कुल मिलाकर 18 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी:—

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गम्भीर चूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी या समिति के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि उचित समझा जाय तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा.

18. चयन सूची से सेवा नियुक्ति.—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जावेगी, जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आते हों. परन्तु यदि नियुक्त प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाय कि रिक्त सम्भवतः तीन माह से अधिक अवधि के लिये नहीं होगी, तो प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में न हो या चयन सूची के क्रम में अगला न हो सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा.

(2) यदि सेवा की चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति के मामले में चयन सूची में उसका नाम शामिल करने की तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जिससे उसे सेवा में नियुक्त किया जाना उपयुक्त न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा देगा.

19. परिवीक्षा.—सेवा में सीधे भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायगा.

20. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायगा और इस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा.

21. छूट.—इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिस पर ये नियम लागू होते हों, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उनको उचित और न्याय प्रतीत होती हो:—

परन्तु मामले पर किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जायगी जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के सभी तत्स्थानी नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पहले प्रवृत्त हों इसके द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में निरसित किये जाते हैं:—

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायगी.

22 (अ) व्यावृत्ति.—इन नियमों में दी गई किसी बात का राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. जी. ओमराय, विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

POSTS FILLED BY GOVERNMENT POLYTECHNIC/JABALPUR/RAIGARH/ DURG/KHIRSADOH/KHANDWA/UJJAIN/ GWALIOR/SHAHDOL/NOWGONG/BHOPAL/JAORA

1. Instructor (Textile).	Rs. 169—300	Master Instructor (Textile).	Rs. 246—460	1. One Head of the Deptt. nominated by D. T. E. (Chairman). 2. One Head of the Deptt. nominated by Principal (Member). 3. W/Shop supdt. of the Polytechnic concerned (Member).	3 years	The promotee will have to fulfill the educational and experience qualification as prescribed in Schedule III for such post.
2. Workshop Instructor.	Rs. 220—375	Jr. Istructor	Rs. 246—460	Do.	3 years	Do.
3. Motor Mech.	R.s 169—300	Workshop Instructor.	Rs. 220—375	Do.	3 years	Do.
Skilled Asstt.	Rs. 155—252				4 years	Do.
Mechanic	Rs. 155—252				4 years	Do.
Plumber Gas Mechanic.	Rs. 155—252				4 years	Do.

POSTS FILLED BY GOVERNMENT WOMENS POLYTECHNIC, BHOPAL

1. Skilled Asstt.	Rs. 155—252	Jr. Instructor	Rs. 246—460	1. One Deputy Director nominated by D. T. E. (Chairman). 2. One Head of the Deptt. Nominated by Principal (Member). ~~3. One Head of Deptt.~~ nominated by Princncipal Member)).	5 years	Do.

...competency in repairing and servicing Precision/Electronic Instru-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	GOVERNMENT KALANIKETAN, JABALPUR					
1.	Assistant Lecturer (Humanities)	1	100%	..	..	(Lecture manities cs Lecturer Technical) redesignate Lecturer(No Technical).
2.	Lecturer (Non-Technical) ..	10	90%	10%	..	
3.	Asstt. Workshop Foreman ..	1	100%	..	..	
4.	Junior Instructor (Printing) ..	7	33%	67%	..	
5.	Junior Instructor	12	25%	75%	..	
6.	Phy. Training Instructor ..	1	100%	..	..	
7.	Instructor (Printing) ..	3	..	100%	..	
8.	Survey Instrument Repairer	1	100%	..	..	
9.	Printing M/c Mechanic	1	100%	..	..	
10.	Mechanical Instructor ..	5	..	100%	..	
11.	Skilled Assistant	26	100%	..		
12.	Book Binder	1	100%	..	..	
13.	Compositer	1	100%	..	..	
	GOVERNMENT WOMEN'S POLYTECHNIC, BHOPAL					
1.	Junior Instructor	6	50%	50%	..	
2.	Mechanic (Sewing Machine)	1	100%	..	..	
3.	Mechanic (Typewriter) ..	1	100%	..	..	
4.	Matron	1	100%	..	..	
5.	Skilled Assistant	6	100%	..	..	
	GOVT. HIGHER SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS					
1.	Lecturer (Non-Technical) ..	78	90%	10%	..	
2.	Master Instructor	28		100%	..	
3.	Physical Training Instructor ..	14	100%	..	..	
4.	Workshop Instructor	84	50%	50%	..	
5.	Skilled Assistant	125	100%	..	..	
	GOVERNMENT PRE-VOCTIONAL TRAINING CENTRES					
1.	Career Master	6	100%	..		
2.	General Education Teacher ..	12	100%	..		
3.	Craft Instructor	24	100%	..		

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Plumber Fitter ..	18	30	I.T.I. Certificate of competency in the trade with one year's experience.
	Head Lab. Attendant.	18	30	High School Certificate with Science subjects.
	GOVERNMENT POLYTECHNICS ..			
	Draughtsman ..	18	30	At least a IInd class diploma in Civil/Mech./Elect. Engineering of the M. P. Board of Technical Education or equivalent with 3 years experience or High School/Higher Secondary School with I.T.I. certificate of competency in Draughtsmanship with 5 years experience.
	Survey Field Assistant.	18	30	Atleast a IInd Class diploma in civil Engg. or Mining and Mine surveying or I.T.I. certificate of competency in survey- or with 2 years experience. (Preference will be given for mine surveying experience).
	Junior Instructor	18	30	At least IInd Class diploma in the appropriate branch of engineering of a recognised Board or equivalent thereof or High School/Higher Secondary School with I.T.I. certificate of competency in the respective trade with 3 years experience in the teade.
	Master Instructor Textile.	..	..	Atleast IInd class diploma in Textile Technology of a recognised Board or equivalent thereof or High School/Higher Secondary School with I.T.I. certificate of competency in spining/weaving/dyeing etc. with 3 years experience.
	Instrument Repairer.	18	30	I.T.I. Certificate of competency in repairing and servicing Precision/Electronic Instrument and equipment with atleast 3 years experience in the trade.
	Workshop Instructor	18	30.	Junior Technical School/Secondary Technical School Certificate awarded by the Board of Technical Education Madhya Pradesh upto 1973 in the appropriate trade with 3 years experience in the trade or Tenth Class pass/High School with I.T.I. certificate of competency in the respective trade with 3 years experience in the trade.

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल- 462 004

क्रमांक/प्रशा/3/बी/94/1533 /भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 1994

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
शासकीय पोलीटेकनिक,
शासकीय महिला पोलीटेकनिक,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- तृतीय श्रेणी अलिपिकीय संवर्ग के सेवा भर्ती नियम 1980 के प्रकाशन के उपरान्त स्वीकृत नये पदों की सीधी भर्ती हेतु अर्हता अनुभव का निर्धारण ।

------xxx------

तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी अलिपिकीय संवर्ग के लिये सेवा भर्ती नियम 1980 प्रकाशित किये गए हैं । इन नियमों के प्रकाशित होने के उपरान्त तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में ऐसे अनेक नये पदों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिनका समावेश सेवा भर्ती नियम 1980 में नहीं है । अतः तृतीय श्रेणी अलिपिकीय संवर्ग के पदों के सेवा भर्ती नियम 1980 को संशोधित कर भर्ती नियम 1992 का प्रारूप तैयार कर अनुमोदन हेतु राज्य शासन को भेजा गया है । भर्ती नियम 1992 की, अनुसूची - 3 में सीधी भर्ती कोटे के नये निर्मित पदों की अर्हताओं का समावेश किया गया है । अतः सीधी भर्ती कोटे के नव-निर्मित पदों की शैक्षणिक अर्हता और अनुभव जिनका समावेश सेवा भर्ती नियम 1980 में नहीं हैं, की सूची (पद वेतनमान एवं निर्धारित अर्हता, अनुभव दर्शाते हुए) तैयार कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एतद्‌साथ संलग्न है ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

तकनीकी शिक्षा संचालक,
मध्यप्रदेश
दूरभाष : 551589

तृतीय श्रेणी के अलिपिकीय उन पदों की सूची जिनकी अर्हता सेवा भर्ती नियम 1980 में सम्मिलित नहीं है ।

पदनाम	वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव
		शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय
1- ग्रंथपाल	1600-2720	मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और ग्रंथालय का कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव ।
सहायक ग्रंथपाल	1150-1800	मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10 + 2 प्रणाली से हाईस्कूल/हायरसेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और साथ में पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण ।
ग्रंथालय लिपिक	1150-1800	-"तथैव"-
फोटोग्राफर ग्रेड-2	1400-2340	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण तथा (2) किसी फोटो स्टूडियो में फोटोग्राफी में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।
कम्प्यूटर आपरेटर	1400-2340	गणित/भौतिकशास्त्र/सांख्यिकीय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित बी.एस.सी. उत्तीर्ण । कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग/सिस्टम एनालिसिस का तीन वर्ष का अनुभव इसमें कम से कम दो वर्ष का चौथे जनरेशन कम्प्यूटर/पी.सी. प्रयोगशाला के कम्प्यूटर सेन्टर का अनुभव हो । अथवा (1) एम.एस.सी. साथ ही चौथे जनरेशन कम्प्यूटर/पी.सी. प्रयोगशाला के कम्प्यूटर सेन्टर में कम से कम एक वर्ष का अनुभव (2) कोबाल/पास्कल तथा एम.एस.डी.ओ.एस. आपरेटिंग-सिस्टम की भाषा का परिपूर्ण ज्ञान हो ।

क्रमशः......2

क्र.	पदनाम	वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव
6-	डाटा ऐन्ट्री आपरेटर	1400-2340	उपाधि के साथ "आन लाईन (On line) और "ऑफ लाईन (Off line) डाटा ऐन्ट्री आपरेशन का प्रमाण पत्र। अनुभव:- कम से कम दो वर्ष का डाटा ऐन्ट्री के अनुभव के साथ दस हजार के.डी.पी.एच. जिसमें कम से कम 6 माह का "ऑन लाईन (On line) में अनुभव हो। अथवा मध्यप्रदेश बोर्ड आफ टेक्नीकल एज्यूकेशन से डिप्लोमा। वांछनीय:- विभिन्न एप्लीकेशन पेकेजेस की पी.सी. अ... केपेटिकल पर चलाने (Running) में परिचय (Familiarity)
-	आडियो विजुअल सहायक	1400-2340	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में उपाधि या समुचित ट्रेड में आई.टी.आई. सर्टिफिकेट। अनुभव:- ऑडियो विजुअल उपकरणों के आपरेशन एवं रख-रखाव का दो वर्ष का अनुभव।
	कनिष्ठ निर्देशक (इलेक्ट्रानिक्स)	1400-2340	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल की संबंधित इंजीनियरिंग में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अथवा 10 + 2 शिक्षा प्रणाली से हाईस्कूल/हायरसेकेण्ड्री स्कूल त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्र संस्था से संबंधित विषय/ट्रेड में सक्षमता प्रमाणपत्र सहित व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव
	डुप्लीकेटिंग मशीन आपरेटर	1320-2040	पुराना हायर सेकेण्ड्री अथवा (10 + 2) से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। अंग्रेजी भाषा का कार्यकारी ज्ञान। अनुभव:- डुप्लीकेटिंग/फोटोकापी मशीन के आपरेशन का पाँच वर्ष का अनुभव

क्रमशः......3

तृतीय श्रेणी के अलिपिकीय उन पदों की सूची जिनकी अर्हता सेवा भर्ती नियम 1980 में सम्मिलित नहीं है ।

पदनाम	वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव
		शासकीय पोलीटेकनिक
ग्रंथपाल	1600-2720	मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही पुस्तकालय में कार्य करने का दो वर्ष का कार्यअनुभव ।
ग्रंथालय लिपिक	1150-1800	मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10 +-2 शिक्षा प्रणाली से हाईस्कूल/हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और साथ में पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण ।
डार्करूम सहायक/ स्टूडियो सहायक (वीडियो प्रोडक्शन)	1400-2340	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से विज्ञान विषय सहित उच्चत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण और 2. फोटोग्राफी/अप्लाईड विडियोग्राफी विषय में किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविधालय से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा संबंधित क्षेत्र का दो वर्षों का व्यवहारिक अनुभव ।
तकनीकी सहायक	1400-2340	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल की संबंधित इंजीनियरिंग में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय/ट्रेड में प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं संबंधित व्यवसाय में 5 वर्ष का अनुभव
ड्राफ्टसमैन-कम-आर्टिस्ट	1400-2340	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से अप्लाईड आर्टस में विशिष्टता सहित कम से कम द्वितीय श्रेणी का फाईन आर्टस में एडवान्स्ड डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से अप्लाईड आर्टस में विशिष्टता सहित कम से कम द्वितीय श्रेणी में फाईन आर्टस में डिप्लोमा तथा ग्राफिक्स बनाने का दो वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ।

क्रमशः....2

दनाम	वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव
क्नीशियन	1400-2340	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल की उपयुक्त इंजीनियरिंग में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि या उसके समकक्ष अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय/ट्रेड में दक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण सहित व्यवसाय में 5 वर्ष का अनुभव
ादक (विडियो)	1400-2340	किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल या विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विडियोग्राफी में पत्रोपाधि प्रमाणपत्र तथा शैक्षणिक/व्यवसायिक विडियोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव जिसमें शैक्षणिक विडियो के संपादन के अनुभव को प्राथमिकता दी जावेगी ।
रेटर त सामग्री टर आधीरित)	1400-2340	मान्यता प्राप्त मण्डल से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण त्रिवर्षीय विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के साथ में कम्प्यूटर संचालन, फोटोकापियर, स्केनर, इलेक्ट्रानिक टायपराईटर विभिन्न प्रिंटर्स के संचालन का एक वर्ष का अनुभव
टर ा सामग्री र प्रणाली तिरिक्त)	1400-2340	मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से प्रिंटिंग टेक्नॉलाजी में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण । साथ में डुप्लीकेटर चालन स्क्रीन प्रिंटिंग, आफसेट मशीन से मुद्रण तथा बुक बाईडिंग आदि संबंधित कार्यों में एक वर्ष का अनुभव
टर प्रिंट विद्युत)	1400-2340	मान्यता प्राप्त मण्डल से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्युत इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम साथ में मीडिया उपकरण जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाईड प्रोजेक्टर, ध्वनी विस्तारण यंत्र, ऑडियो उपकरण आदि के संचालन एवं रख-रखाव का कार्यानुभव । अथवा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आई. टी. आई. प्रमाण पत्र तथा विद्युत उपकरण यथा ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाईड प्रोजेक्टर, आडियो एम्प्लीफायर आदि उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव का 5 वर्ष का कार्यानुभव ।

क्रमशः.....3

पदनाम	वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव
होस्टल केयरटेकर	1320-2040	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण तथा (2) भण्डार के रखरखाव एवं लेखा संबंधी कार्य के अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
मैट्रॉन	1400-2340 1200-2040	(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा (2) लिपिकीय पद पर कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव टीप: महिला उम्मीदवारों के लिये ही यह पद रहेगा और प्राथमिकता उन्हीं उम्मीदवारों को दी जावेगी जिन्हें प्राथमिक उपचार का अनुभव होगा । तथा छात्र-छात्राओं के छात्रावास में कार्य करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
प्रयोगशाला तकनीशियन	1200-2040	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण उसके पश्चात विहित तकनीकी प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त की हो ।

तकनीकी शिक्षा संचालक
मध्यप्रदेश

एस. नाथानी/

पदनाम		निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव
		(ब) विशेष/नवीन उपकरण यंत्र हाईड्रोलिक्स कंट्रोल, रेफ्रिजरेशन, एयरकंडीशनिंग एवं अन्य प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त उपकरणों के रख-रखाव आदि की जानकारी एवं सेफ्टी रेग्युलेशन की जानकारी । वांछनीय: अंग्रेजी भाषा में बोलचाल तथा लिखने की क्षमता एवं कंप्युटर पर कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान ।
4- मेंटेनेन्स टेक्नीशियन (मेकेनिकल)	1200-2040	मशीनिष्ट/फिटर ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण एवं किसी औद्योगिक संस्थान में पाँच वर्ष का कार्य अनुभव जिसमें प्रमुखत: निम्न प्रकार के कार्य संपादित किये गए हों :- (अ) मशीन टूल्स/यंत्र एवं उपकरणों का रख-रखाव (ब) विशेष/नवीन उपकरण यथा हाईड्रॉलिक कंट्रोल, नापजोख आदि के उपयोग में लाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों के रखरखाव की जानकारी एवं सेफ्टी रेग्युलेशन की जानकारी ।
मेंटेनेन्स टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल)	1200-2050	इलेक्ट्रीशियन/इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण एवं किसी औद्योगिक संस्थान में 5 वर्ष का कार्य अनुभव जिसमें प्रमुखत: निम्न प्रकार के कार्य संपादित किये गए हों :- (अ) मशीन टूल्स, यंत्रों एवं प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त उपकरणों का विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स रख-रखाव । (ब) विशेष/नवीन उपकरण यथा हाईड्रोलिक कंट्रोल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एवं अन्य प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त उपकरणों के रख-रखाव आदि की जानकारी एवं सेफ्टी रेग्युलेशन की जानकारी ।
[इं]स्पेक्टर [(आ]टो इंजीनियरिंग)	1200-2040	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से आटो इंजीनियरिंग में द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि । संबंधित ट्रेड में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव
[प्र]दर्शक [(इ]लेक्ट्रॉनिक्स)	1200-2040	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित व्यवसाय/ट्रेड में सक्षमता प्रमाणपत्र सहित 3 वर्ष का व्यवसाय/ट्रेड में अनुभव ।

क्रमश:.....5

पदनाम	वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव
- आपरेटर (नॉन प्रिंट/ इलेक्ट्रानिक्स)	1400-2340	मान्यता प्राप्त मण्डल से इलेक्ट्रानिक्स (कम्युनिकेशन) में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण पत्रोपाधि पाठ्यक्रम साथ में इलेक्ट्रानिक्स उपकरण यथा वी.सी.आर.,वी.सी.पी. मानीटर टेलीविजन, प्रोजेक्शन स्क्रीन आदि आडियो तथा वीडियो उपकरणों के संचालन एवं संधारण का एक वर्ष का अनुभव । अथवा "रेडियो एवं टी.वी. ट्रेड में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र तथा इलेक्ट्रानिक्स उपकरण यथा वी.सी.आर.,वी.सी.पी. मानीटर टेलीविजन, प्रोजेक्शन स्क्रीन आदि आडियो-विडियो उपकरणों का संचालन एवं रख-रखाव का 5 वर्ष का कार्या[illegible]
- मेंटेनेन्स सुपरवाईजर (मेकेनिकल)	1400-2340	पुराना हायर सेकेण्ड्री परीक्षा अथवा 10 + 2 शिक्षा प्रणाली से हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा मशीनिष्ट/फिटर ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण एवं किसी औद्योगिक संस्थान में सात वर्ष का कार्यानुभव जिसमें प्रमुखतया निम्न प्रकार के कार्य संपादित किये गए हों :- (अ) मशीन टूल्स, यंत्रों एवं उपकरणों का रख-रखाव (ब) विशेष/नवीन उपकरण यथा हाईड्रोलिक कंट्रोल, नापजोख आदि के उपयोग में लाये जाने वाले आधुनिक उपकरणों के रख-रखाव की जानकारी एवं सेफ्टी रेग्युलेशन की जानकारी वांछनीय : अंग्रेजी भाषा में बोलचाल तथा लिखने की प[illegible]प्त क्षमता एवं कंप्युटर पर कार्य करने का व्यवहारिक ज्ञान ।
- मेंटेनेन्स सुपरवाईजर (इलेक्ट्रीकल)	1400-2340	पुराना हाईसेकेण्ड्री परीक्षा अथवा 10 + 2 शिक्षा प्रणाली से हाईस्कूल उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन/इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण एवं किसी-औद्योगिक संस्थान में सात वर्ष का कार्यानुभव जिसमें प्रमुख निम्न प्रकार के कार्य संपादित किये गए हों :- (अ) मशीन टूल्स यंत्रों एवं प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त उपकरणों का विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स [illegible] रख-रखाव

क्रमशः.......4

पद	वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव
केयरटेकर	950-1530	10 + 2 शिक्षा प्रणाली में हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा मध्यप्रदेश बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण। टीप: हिन्दी/अंग्रेजी टायपिंग जानने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।
चैनमेन	950-1400	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से सर्वेइंग ट्रेड में सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण।
वायरमेन	950-1400	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण साथ में एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से लायसेंसिंग बोर्ड का वायरमेन लायसेंस और साथ में तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव
प्रयोगशाला तकनीशियन	1200-2040	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि या उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण उसके पश्चात विहित तकनीकी प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त की हो।
फोटोग्राफर (एल. आर. डी. सेन्टर)	1400-2340	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या विश्वविद्यालय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण फोटोग्राफी पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र। व्यावसायिक या शैक्षणिक फोटोग्राफी तथा डार्करूम में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। स्लाईड/ट्रांसपेरेन्सी बनाने के कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जावेगी।

(हस्ताक्षर)

तकनीकी शिक्षा संचालक
मध्यप्रदेश

थानी/

तृतीय श्रेणी के अलिपिकीय उन पदों की सूची जिनकी अर्हता सेवा भर्ती नियम 1980 में सम्मिलित नहीं है ।

पदनाम	वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव
		शासकीय महिला पोलीटेकनिक
ग्रंथपाल	1600-2720	मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ×अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही पुस्तकालय में कार्य करने का दो वर्ष का कार्यानुभव ।
ग्रंथालय लिपिक	1150-1800	मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 शिक्षा प्रणाली से हाईस्कूल/हायरसेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और साथ में पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण ।
सहायक ग्रंथपाल	1150-1800	मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 शिक्षा प्रणाली से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और साथ में पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण ।
तकनीकी सहायक	1400-2340	(अ) कम्प्यूटर एप्लीकेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स: किसी मान्यता प्राप्त मण्डल की संबंधित इंजीनियरिंग में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित व्यवसाय/ट्रेड में सक्षमता प्रमाण-पत्र सहित व्यवसाय में 5 वर्ष का अनुभव (ब) आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समेनशिप/ कस्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग/ सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस एण्ड स्टेनोग्राफी : किसी मान्यता प्राप्त मण्डल की इंजीनियरिंग की संबंधित शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण । अथवा

क्रमशः......2

वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव

अथवा

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय/ट्रेड में सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही संबंधित विषय/ट्रेड में कम से कम 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव

अथवा

मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल द्वारा सत्र 1973 तक प्रवृत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शाला (जे. टी. एस./एस. टी. एस.) की प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण साथ में संबंधित विषय/ट्रेड में कम से कम पाँच वर्ष का कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव ।

(स) मेडीकल लेबोरेटरी (टेक्नालॉजी

किसी मान्यता प्राप्त मण्डल की मेडीकल लेबोरेटरी टेक्नालॉजी में पत्रोपाधि परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण ।

त्रिक 1200-2040 (1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से टेलीविजन एवं रेडियो टेक्नालॉजी विषय/ट्रेड में परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण ।

(2) टेलीविजन की मरम्मत करने का कम से कम 3 वर्ष का कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव

टीप:-टेलीविजन मेन्युफेक्चरर्स के यहाँ प्राप्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित व्यवहारिक अनुभव में छूट दी जा सकेगी ।

1200-2040 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि

या

उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण उसके पश्चात विहित तकनीकी प्रशिक्षण-अर्हता प्राप्त की हो ।

क्रमशः.....3

पदनाम	वेतनमान	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/अनुभव
मेकेनिक	950-1530	§1§ औद्योगिक प्रशि ण संस्थान अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय/ट्रेड में प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण । §2§ संबंधित विषय/ट्रेड में कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव । अथवा संबंधित विषय/ट्रेड में ~~ख~~कम से कम 6 वर्ष का कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव ।
8- जूनियर इंस्ट्रक्टर §इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टी.वी.§	1400-2340	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल की संबंधित इंजीनियरिंग में कम से कम द्वितीय श्रेणी में पत्रोपाधि परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण । अथवा 10 + 2 शिक्षा प्रणाली से हाईस्कूल/हायरसेकेण्ड्री स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय/ट्रेड में सक्षमता प्रमाणपत्र सहित व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव
9- कुशल सहायक §टेलीविजन एण्ड रेडियो टेक्नॉलाजी§	950-1400	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से टेलीविजन एवं रेडियो टेक्नॉलाजी विषय/ट्रेड में प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण । नोट :- टेलीविजन की मरम्मत करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जावेगा ।

[signature]
तकनीकी ~~शिक्षा~~ संचालक
मध्यप्रदेश

== 00 ==

एस. नाथानी/

अनुसूची-I

(देखिये नियम 9)

अनुसूचित जातियों की बैकलॉग रिक्तियों के लिए रोस्टर

1. कार्यालय का नाम..

2. संवर्ग का नाम/सेवा का भाग/पद का वेतनमान..

वर्ष	वर्ष की बैकलॉग रिक्तियों की कुल संख्या	रोस्टर के बिन्दु क्र. जो नहीं भरे जा सके	बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति किये गये अनु. जातियों के लोक सेवकों के नाम	पदोन्नति आदेश का क्रमांक व दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	नियुक्ति प्राधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

अनुसूची-II

(देखिये नियम 9)

अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग रिक्तियों के लिए रोस्टर

1. कार्यालय का नाम..

2. संवर्ग का नाम/सेवा का भाग/पद का वेतनमान..

वर्ष	वर्ष की बैकलॉग रिक्तियों की कुल संख्या	रोस्टर के बिन्दु क्र. जो नहीं भरे जा सके	बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति किये गये अनु. जनजातियों के लोक सेवकों के नाम	पदोन्नति आदेश का क्रमांक व दिनांक	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	नियुक्ति प्राधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

अनुसूची-III

(देखिये नियम 9)

पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए मॉडल रोस्टर

प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के संवर्गों/पदों के लिए

1. कार्यालय का नाम..

2. संवर्ग का नाम/सेवा का भाग/पद का वेतनमान..

आरक्षण

अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत

अनुसूचित जनजाति 20 प्रतिशत

रोस्टर बिन्दु	अनारक्षित/आरक्षित	अग्रनीत किए जाने या भरे जाने का वर्ष	शासकीय सेवक, जिसके द्वारा पद भरा गया, का नाम एवं जाति	क्या वह आरक्षित प्रवर्ग का है	आदेश क्रमांक तथा दिनांक	नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	अनारक्षित						
2.	अनारक्षित						
3.	अनुसूचित जनजाति						
4.	अनारक्षित						
5.	अनारक्षित						
6.	अनुसूचित जाति						
7.	अनारक्षित						
8.	अनारक्षित						
9.	अनुसूचित जनजाति						
10.	अनारक्षित						
11.	अनारक्षित						
12.	अनुसूचित जाति						
13.	अनारक्षित						
14.	अनुसूचित जनजाति						
15.	अनारक्षित						
16.	अनारक्षित						
17.	अनुसूचित जाति						
18.	अनारक्षित						
19.	अनारक्षित						
20.	अनुसूचित जनजाति						
21.	अनारक्षित						
22.	अनारक्षित						
23.	अनुसूचित जाति						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24.	अनारक्षित						
25.	अनुसूचित जनजाति						
26.	अनारक्षित						
27.	अनारक्षित						
28.	अनुसूचित जनजाति						
29.	अनारक्षित						
30.	अनारक्षित						
31.	अनुसूचित जाति						
32.	अनारक्षित						
33.	अनारक्षित						
34.	अनुसूचित जनजाति						
35.	अनारक्षित						
36.	अनारक्षित						
37.	अनुसूचित जाति						
38.	अनारक्षित						
39.	अनुसूचित जनजाति						
40.	अनारक्षित						
41.	अनारक्षित						
42.	अनुसूचित जाति						
43.	अनारक्षित						
44.	अनारक्षित						
45.	अनुसूचित जनजाति						
46.	अनारक्षित						
47.	अनारक्षित						
48.	अनुसूचित जाति						
49.	अनारक्षित						
50.	अनुसूचित जनजाति						
51.	अनारक्षित						
52.	अनारक्षित						
53.	अनुसूचित जनजाति						
54.	अनारक्षित						
55.	अनारक्षित						
56.	अनुसूचित जाति						
57.	अनारक्षित						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
58.	अनारक्षित						
59.	अनुसूचित जनजाति						
60.	अनारक्षित						
61.	अनारक्षित						
62.	अनुसूचित जाति						
63.	अनारक्षित						
64.	अनुसूचित जनजाति						
65.	अनारक्षित						
66.	अनारक्षित						
67.	अनुसूचित जाति						
68.	अनारक्षित						
69.	अनारक्षित						
70.	अनुसूचित जनजाति						
71.	अनारक्षित						
72.	अनारक्षित						
73.	अनुसूचित जाति						
74.	अनारक्षित						
75.	अनुसूचित जनजाति						
76.	अनारक्षित						
77.	अनारक्षित						
78.	अनुसूचित जनजाति						
79.	अनारक्षित						
80.	अनारक्षित						
81.	अनुसूचित जाति						
82.	अनारक्षित						
83.	अनारक्षित						
84.	अनुसूचित जनजाति						
85.	अनारक्षित						
86.	अनारक्षित						
87.	अनुसूचित जाति						
88.	अनारक्षित						
89.	अनुसूचित जनजाति						
90.	अनारक्षित						
91.	अनारक्षित						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
92.	अनुसूचित जाति						
93.	अनारक्षित						
94.	अनारक्षित						
95.	अनुसूचित जनजाति						
96.	अनारक्षित						
97.	अनारक्षित						
98.	अनुसूचित जाति						
99.	अनारक्षित						
100.	अनुसूचित जनजाति						

विषय-आरक्षण नियमों/निर्देशों/रोस्टर के आधार पर पदोन्नति- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों की वरिष्ठता।

संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ.सी.-3-2/95/3/एक, दिनांक 7 अगस्त, 1995.

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 7 अगस्त, 1995 के द्वारा शासकीय सेवाओं/पदों में पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को आरक्षण का लाभ देने आदि के विषय में नीति-निर्देश जारी किये गये थे।

उपरोक्त निर्देशों में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था-

(एक) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों के लिए आरक्षित पदों पर तथा सामान्य श्रेणी के शासकीय सेवकों के लिए उपखण्ड पदों के बराबर की संख्या के लिए पृथक्-पृथक् उपयुक्तता सूचियाँ/प्रवर सूचियाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के शासकीय सेवकों के लिए तैयार की जाएँगी।

(दो) उक्त तीनों वर्गों के शासकीय सेवकों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए एक समेकित उपयुक्तता सूची/प्रवर सूची तैयार की जाएगी जिसमें तीनों सूचियों में शामिल शासकीय सेवकों के नाम उस क्रमानुसार रखे जावेंगे जिस क्रम में उनके नाम वरिष्ठता सूची में अंकित हैं, जिससे उनकी पदोन्नति की जा रही हो। "योग्यता सह वरिष्ठता" के मापदण्ड के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में यदि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किसी शासकीय सेवक को उसकी योग्यता के आधार पर प्रवर सूची में उच्चतर स्थान दिया गया हो तो उसका नाम ऐसे उच्च स्थान पर रखा जाएगा।

(तीन) समेकित उपयुक्तता सूची के आधार पर पदोन्नत सेवकों के नाम एक साथ (एनब्लाक) उसके पूर्ववर्ती वर्ष की समेकित प्रवर सूची के आधार पर पदोन्नत शासकीय सेवकों के नामों के नीचे रखे जाएंगे।

उक्त क्रम में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति में आरक्षण तथा विचारण क्षेत्र के विस्तार की सीमा) नियम, 1997 में भी उपरोक्त कंडिका 2 (तीन) का प्रावधान नियम 4 (8) के स्पष्टीकरण एवं नियम 5 (9) के स्पष्टीकरण में रखा गया था। मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण, खण्डपीठ भोपाल ने याचिका ओ.ए. क्रमांक 606/1997 रमाकान्त मिश्र एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य

तथा 3 अन्य याचिकाओं में दिनांक 17-7-2000 को पारित आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत अजीत सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य 1999 (11) एम.पी.एल.एस.आर. 273 के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त नियमों को निरस्त कर दिया था।

भारत सरकार ने संविधान (पच्चासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ए) को दिनांक 17 जून, 1995 से इस दृष्टि से संशोधित कर दिया है कि आरक्षण नियमों के आधार पर पदोन्नति के प्रकरणों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को वरिष्ठता प्रतिधारण (retain) करने के लिए अनुमत किया जावे। दूसरे शब्दों में, सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के बाद में पदोन्नत होने वाले शासकीय सेवक, आरक्षण नियमों के आधार पर पूर्व में पदोन्नत हो चुके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों से कनिष्ठ रहेंगे।

संविधान (पच्चासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने पदोन्नति नियम/रोस्टर के आधार पर पदोन्नत होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों की वरिष्ठता के विषय में नये निर्देश अपने ज्ञाप क्रमांक 2011/1/2001-स्था. (डी) दिनांक 21 जनवरी, 2002 द्वारा प्रसारित किये हैं, जिन्हें 17 जून, 1995 से लागू किया गया है।

अतः संविधान (पच्चासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

(1) (क) आरक्षण नियम/निर्देशों के आधार पर पदोन्नत होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवक पारिणामिक वरिष्ठता (consequential seniority) के भी पात्र होंगे, एवं

(ख) उक्त निर्णय दिनांक 17 जून, 1995 से प्रभावी होगा।

(2) यदि किसी विभाग/स्थापना में दिनांक 17 जून, 1995 एवं इसके बाद हुई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के पदोन्नत शासकीय सेवक को वरिष्ठता का लाभ उपरोक्त निर्णय के अनुसार नहीं दिया गया हो तो ऐसे प्रकरणों का पुनरीक्षण दो माह के अन्दर किया जावे।

(3) (क) उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित की गई वरिष्ठता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंधित शासकीय सेवकों को अन्य पारिणामिक लाभ यथा पदोन्नति, वेतन, पेंशन आदि भी देय होंगे, परन्तु 'कार्य नहीं वेतन नहीं' के सिद्धांत के आधार पर अवशेष राशि देय नहीं होगी।

(ख) इस उद्देश्य के लिए वरिष्ठ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को उनके ठीक कनिष्ठ सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के शासकीय सेवकों की पदोन्नति के दिनांक से पदोन्नति देने के लिए रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित की जावे और योग्य पाये जाने पर पदोन्नति/वरिष्ठता दी जावे। यह कार्यवाही 4 माह के अन्दर की जावेगी।

(4) वरिष्ठता के अलावा, सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के शासकीय सेवकों को किन्हीं न्यायालयीन आदेशों के तहत या अन्यथा अन्य पारिणामिक लाभ (consequential benefit) यथा पदोन्नति, वेतन आदि (पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति लाभ सहित) प्रदान कर दिया गया है तो इसे उनका व्यक्तिगत मानकर संरक्षित किया जावेगा।

सभी विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों से निवेदन है कि उपरोक्त निर्णय का निर्धारित की गई समय सीमा में पालन करें।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-5/2002/3/1, दिनांक 6 जून, 2002]

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल 462 004.

क्रमांक:3/94/पी/676/ भोपाल, दिनांक 3/5/94

प्रति,

1. प्राचार्य,
   समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश.

2. प्राचार्य,
   समस्त पोलीटेकनिक/महिला पोलीटेकनिक,
   मध्यप्रदेश.

3. प्राचार्य,
   समस्त उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय,
   मध्यप्रदेश.

विषय:- मध्यप्रदेश की तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के रिक्त पद भरे जाने संबंधित.

--

मध्यप्रदेश के शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पोलीटेकनिक संस्थाओं में सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के अलिपिकीय पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों की अर्हता एवं अनुभव रखने वाले तकनीकी संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों एवं अन्य इंजीनियरिंग विभागों एवं अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन निम्नांकित तिथि को प्रात: 10.00 बजे से तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश की राज्य स्तरीय परियोजना क्रियान्वयन इकाई (विश्व बैंक परियोजना), टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल्स, भोपाल-02 में किया गया है :-

साक्षात्कार के लिये निर्धारित तिथि :-

1. 23-5-94 को जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों का साक्षात्कार.
2. 24-5-94 को लोक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्यालय के कर्मचारियों का साक्षात्कार.
3. 26-5-94 को तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीनस्थ कार्यरत् कर्मचारियों का साक्षात्कार.

इस संदर्भ में जारी की गई सूचना की प्रति संलग्न है।

क्रमश:/-

आपकी संस्था में इन पदों के लिए आवश्यक अर्हता एवं अनुभव प्राप्त इच्छुक कर्मचारियों को इस जानकारी से अवगत कराया जावे। कर्मचारियों को निम्न प्रमाण पत्र/अभिलेख और उनकी फोटो प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु स्वयं अपने व्यय पर उपस्थित होना होगा :-

1. संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र (संलग्न प्रपत्र में).
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र/अंक सूची.
3. आयु प्रमाण पत्र.
4. अनुभव प्रमाण पत्र.
5. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा जाति प्रमाण पत्र (यदि उम्मीदवार आरक्षित पदों पर चयन का पात्र हो).
6. घोषणा पत्र (संलग्न प्रपत्र में).

चयन का आधार शैक्षणिक रिकार्ड व पद के अनुरूप अनुभव एवं कार्य के संबंध में रिपोर्ट के आधार पर किया जावेगा जो कर्मचारी आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं लाते हैं या समय पर उपस्थित नहीं होते हैं उनका साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा।

प्राचार्य अपनी संस्था के इन कर्मचारियों के कार्य के संबंध में गोपनीय टीप अलग से संचालनालय को भेजें जो कि साक्षात्कार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करते हैं।

3/5/94

संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश.

--

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रारूप

विभाग का नाम

क्रमांक: दिनांक

श्री ------------ पुत्र ---------

इस विभाग/कार्यालय में नियमित/कांटिजेन्सी/दैनिक वेतन पर दिनांक ---------- से कार्यरत् हैं । दिनांक 1-4-94 को इनका वेतनमान ---------------- में मूल वेतन रूपये ---------- है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सचिव, जनशक्ति नियोजन विभाग/संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश को भेजी गई आवेदकों की सूची में उपरोक्त कर्मचारी का नाम सम्मिलित है । यदि इन्हें जनशक्ति नियोजन विभाग, मध्यप्रदेश के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं के लिए चयन कर पदस्थ किया जाता है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं इन्हें अविलम्ब कार्यमुक्त कर दिया जावेगा । उपरोक्त कर्मचारी के हस्ताक्षर नीचे सत्यापित किये जाते हैं ।

कर्मचारी के हस्ताक्षर. सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा.

--

घोषणा पत्र

मैं ------------------ वर्तमान में -------------------------- (विभाग/कार्यालय) में ------------ (पद का नाम) पर नियमित/कांटिजेन्सी/दैनिक वेतन पर कार्यरत् हूं तथा तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीनस्थ नियुक्त होने पर प्रदेश में स्थित किसी भी शासकीय इंजीनियरिंग कालेज/पोलीटेकनिक में पद भार ग्रहण करने का इच्छुक हूं तथा किसी भी संस्था में सेवा करने में आपत्ति नहीं है ।

दिनांक (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

--

सूचना

मध्यप्रदेश की 36 शासकीय पोलीटेकनिक संस्थाओं एवं 8 इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के अलिपिकीय 381 पद रिक्त हैं। ये संस्थाएं जहां एक ओर भोपाल, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में रिक्त हैं तो दूसरी ओर दूरवर्ती क्षेत्रों जैसे जगदलपुर, खिरसाडोह, बैढ़न, जावरा में। इन पदों पर कार्य करने की इच्छा जल संसाधन विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों ने व्यक्त करते हुए आवेदन किये हैं जिसकी सूची इन विभागों से जनशक्ति नियोजन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, एवं तकनीकी संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को प्राप्त हुई। उपरोक्त विभागों द्वारा भेजी गई सूची में उल्लिखित कर्मचारियों में से उपयुक्त कर्मचारियों के चयन हेतु निम्नांकित तिथि को प्रातः 10.00 बजे साक्षात्कार तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश की राज्य स्तरीय परियोजना क्रियान्वयन इकाई (विश्व बैंक परियोजना) टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल्स, भोपाल-02 में आयोजित किया गया है :-

साक्षात्कार के लिए निर्धारित तिथि:-

1. 23-5-94 को जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों का साक्षात्कार.
2. 24-5-94 को लोक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्यालय के कर्मचारियों का साक्षात्कार.
3. 26-5-94 को तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों का साक्षात्कार.

चयन का आधार शैक्षणिक रिकार्ड तथा पद के लिए अनुरूप एवं उपयोगी अनुभव होगा। केवल सूची में उल्लिखित कर्मचारियों को ही निम्न मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों एवं उनकी एक फोटो प्रति के साथ साक्षात्कार हेतु निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना है :-

क्रमशः/-

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र (संलग्न प्रपत्र में). जिसमें यह भी उल्लेख हो कि इस कर्मचारी का नाम पूर्व में भेजी गई सूची में सम्मिलित है.
2. डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट.
3. आयु प्रमाण पत्र.
4. अनुभव प्रमाण पत्र.
5. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र यदि उम्मीदवार आरक्षित पदों पर चयन का पात्र हो.
6. घोषणा पत्र (संलग्न प्रपत्र में)

किसी भी कारण से उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में उम्मीदवार का साक्षात्कार नहीं लिया जावेगा । उम्मीदवारों को अपने स्वयं के व्यय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा । शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य के उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी जावेगी । अतः ऐसे ही उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित होवे जो अपने को अपेक्षित कार्य के लिए उपयुक्त समझते हों और ऐसे कार्य में रुचि रखते हों । साक्षात्कार के उपरान्त नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये जाने वाले उम्मीदवारों को दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दी जावेगी ।

रिक्त पदों की ... आवश्यक अर्हता एवं वेतनमान का विवरण संलग्न है ।

(हस्ताक्षर)

संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश.

तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधीनस्थ तृतीय श्रेणी अलिपिकीय सीधी भरती कोटे के रिक्त पदों का विवरण एवं अर्हता

स.क्र. 1.	पदनाम 2.	वेतनमान 3.	अर्हता 4.
1.	ड्राफ्ट्समेन (सिविल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी)	1600-2720	कम से कम द्वितीय श्रेणी में मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल की सिविल/मेकेनिकल/इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि अथवा उसके समकक्ष मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त पत्रोपाधी । अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से नक्शानवीसी (ड्राफ्ट्समेनशिप) में सक्षमता प्रमाण पत्र, पांच वर्ष के व्यवहारिक अनुभव सहित ।
2.	कनिष्ठ निर्देशक (सिविल/मेकेनिकल इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी)	1400-2340	किसी मान्यता प्राप्त मंडल की उपयुक्त इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पात्रोपाधि या उसके समकक्ष अथवा हाईस्कूल अथवा हायरसेकण्ड्री स्कूल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण पत्र सहित व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव ।
3.	डिमान्स्ट्रेटर	1400-2340	तकनीकी (टेक्नीकल) खनिकर्म (माईनिंग) इंजीनियरी की संबंधित शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पात्रोपाधि । अनुभवी उम्मीदवारों को अधिमान दिया जावेगा । विज्ञान - भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र अथवा भू-विज्ञान सहित कम से कम विज्ञान में स्नातक उपाधि ।
4.	सर्वे फील्ड असिस्टेंट	1400-2340	कम से कम द्वितीय श्रेणी में सिविल इंजीनियरी अथवा माईनिंग एंड माईन सर्वेइंग की पात्रोपाधि 2 2 वर्ष के अनुभव सहित (माइन सर्वेइंग) में अनुभवी व्यक्ति को अधिमान दिया जावेगा ।
5.	टेक्नीकल असिस्टेंट	1400-2340	(अ) टेक्नीकल - किसी मान्यता प्राप्त मंडल से इंजीनियरी की उपयुक्त शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पात्रोपाधि या समकक्ष पात्रोपाधि या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से उचित व्यवसाय (ट्रेड) में सक्षमता प्रमाण पत्र तथा पांच वर्ष का अनुभव । (ब) विज्ञान - कम से कम विज्ञान स्नातक उपाधि जिसमें रसायन शास्त्र/भौतिक शास्त्र अथवा भू-विज्ञान एक विषय हो ।

1.	2.	3.	4.
6.	वर्कशाप असिस्टेंट	1400-2340	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से इंजीनियरिंग की उपयुक्त शाखा में द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधी या समकक्ष पत्रोपाधि या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का उचित व्यवसाय (ट्रेड) में सफलता प्रमाण पत्र तथा 5 वर्ष का अनुभव।
7.	लेब टेक्नीशियन	1200-2040	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि या उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण उसके पश्चात विहित तकनीकी प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त की हो।
8.	इंस्ट्रूमेंट. रिपेयर	1200-2040	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के मरम्मत और सुधार सफलता के इलेक्ट्रानिक आजार उपकरण की सफलता प्रमाण पत्र सहित 3 वर्ष का अनुभव।
9.	कर्मशाला निर्देशक	1200-2040	मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मण्डल द्वारा 1973 तक का उपयुक्त व्यवसाय में प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शिक्षा (जे. टी. एस. /एस. टी. एस.) प्रमाण पत्र साथ में 5 वर्ष का संबंधित व्यवसाय का अनुभव अथवा 10वीं कक्षा/हाईस्कूल पास साथ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का संबंधित व्यवसाय में सफलता प्रमाण पत्र और साथ ही तीन वर्ष का संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में अनुभव।
10.	असिस्टेंट ड्राफ्ट्समेन	1200-2040	10वीं कक्षा/हाईस्कूल पास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से नक्शानवीसी (ड्राफ्ट्समेनशिप) में सफलता या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र।
11.	चार्जमैन	1200-2040	म0प्र0तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा 1973 तक प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शाला प्रमाण पत्र उपयुक्त व्यवसाय में। साथ में 3 वर्ष का ट्रेड का अनुभव या 10वीं कक्षा/हाईस्कूल पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सफलता प्रमाण पत्र तथा संबंधित व्यवसाय ट्रेड में तीन वर्ष का अनुभव।
12.	ड्रीलर	1200-2040	नलकूप संचालनालय में विहित किये अनुसार।

1.	2.	3.	4.
13.	मशीन शाप इंस्ट्रक्टर	1150-1800	म0प्र0 तकनीकी शिक्षा मण्डल द्वारा 1973 तक प्रदत्त कनिष्ठ तकनीकी शाला/माध्यमिक तकनीकी शाला (जे0टी0एस0/एस0टी0एस0) प्रमाण पत्र उपयुक्त व्यवसाय में या 10वीं कक्षा/हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से उपयुक्त ट्रेड में सफलता प्रमाण पत्र 5 वर्ष के अनुभव सहित।
14.	इलेक्ट्रीशियन	950-1530	10वीं कक्षा पास/हाईस्कूल तथा उस व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सफलता प्रमाण पत्र सहित 2 वर्ष का अनुभव अथवा 10वीं कक्षा पास/हाईस्कूल तथा म0प्र0 विद्युत मंडल से लाईसेंसिंग बोर्ड का वायरमेन लाइसेंस।
15.	इंजिन अटेंडेंट/ड्रायवर	950-1400	कम से कम हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र तथा व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से सफलता प्रमाण पत्र सहित आई.सी. इंजिन के संचालन और अनुरक्षण का तीन वर्ष का अनुभव या संबंधित शाखा में 10 वर्ष का अनुभव।
16.	ड्रेसर	950-1530	10वीं कक्षा पास/हाईस्कूल [illegible] में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सफलता प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र।
17.	मेकेनिक	950-1530	कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण/हाईस्कूल तथा वांछनीय व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से चाहे गये ट्रेड में सफलता प्रमाण पत्र सहित व्यवसाय (ट्रेड) में एक वर्ष का अनुभव अथवा संबंधित शाखा में 10 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।
18.	प्लंबर फिटर	950-1400	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का सफलता प्रमाण पत्र तथा व्यवसाय (ट्रेड) में एक वर्ष का अनुभव।
19.	कुशल सहायक/अटेंडेंट	950-1400	म0प्र0 तकनीकी शिक्षा मंडल द्वारा/73 तक का कनिष्ठ तकनीकी शिक्षा/माध्यमिक तकनीकी शाला (जेटीएस/एसटीएस) प्रमाणपत्र अथवा संबंधित व्यवसाय (ट्रेड) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के सफलता प्रमाण पत्र/अनुभवी व्यक्ति को अधिमान दिया जावेगा।